

प्रेस नोट

आज दिनांक 21.11. को 2020थाना लालपुर पाण्डेयपुर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु235 0सं0अ0/397 धारा 2020/ भादवि के 302वांछित अभियुक्त मोनू उर्फ मोनी उर्फ अरविन्द चौहान व अनिल यादव को प्रश्रयसंरक्षण द/ेने तथा पुलिस से बचने में मदद करने वाले अभियुक्त 02राहुल चौहान उर्फ पटाका पुत्र प्रतीश चौहान व शमशेर चौहान पुत्र स्व हरिहर चौहान 0को हुकुलगंज तिराहा के पास से गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी के संबंध में थाना लालपुरपाण्डेयपुर पुलिस द्वारा आवश्यक - विधिक कार्यवाही की जा रही है।

-गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण

- 01 राहुल चौहान उर्फ पटाका पुत्र प्रतीश चौहान निवासी 52बी पाण्डेयपुर चौराहा हुकुलगंज रोड खजुरी थाना लालपुर पाण्डेयपुर वाराणसी उम्र 25 वर्ष व
- 02 शमशेर चौहान पुत्र स्व0 हरिहर चौहान निवासी सा0 1/64 पागलखाना रोड थाना कैन्ट वाराणसी उम्र 30 वर्ष।

पंजीकृत मुकदमा

- मु0अ0सं0 235/2020 धारा 397/302/216/120बी भादवि थाना लालपुर पाण्डेयपुर वाराणसी।

-बरामदगी का विवरण

- 01 अदद मोबाइल वीवो (मु0अ0सं0 235/2020 थाना लालपुर से संबंधित)

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- प्र0नि0 वेद प्रकाश राय, व0उ0नि0 मनोज कुमार तिवारी , उ0नि0 राजकुमार पाण्डेय चौकी प्रभारी पाण्डेयपुर, का0 सनोज सिंह, का0 अजय यादव, का0 कर्मवीर सिंह थाना लालपुर पाण्डेयपुर वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।



प्रेस नोट

आज दिनांक 21.11. को थाना बड़ागांव पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर 2020 मु/0529 0सं0अ020 धारा-304बी,498ए भा व 0वि0द0३/४ डीपी एक्ट, थाना बड़ागाँव से सम्बन्धित अभियुक्त सुमित कुमार गौड़ पुत्र छविनाथ प्रसाद गौड़ को बड़ागांव तिराहा के पास से गिरफ्तार किया। उक्त गिरफ्तारी के संबंध में थाना बड़ागांव पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का*विवरण*-

- सुमित कुमार गौड़ पुत्र छविनाथ प्रसाद गौड़ निवासी गजापुर , थाना बड़ागाँव, जनपद वाराणसी उम्र 34 वर्ष

पंजीकृत मुकदमा

- मु0अ0सं0 0529/20 धारा-304बी,498ए भा0द0वि0 व ३/४ डीपी एक्ट थाना बड़ागाँव, जनपद वाराणसी।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. उ0नि0 अजय कुमार यादव, थाना बड़ागाँव, जनपद - वाराणसी ।
2. हे0का0 गौरीशंकर, थाना बड़ागाँव जनपद- वाराणसी ।
3. का0 जसवन्त कुमार , थाना बड़ागाँव, जनपद – वाराणसी ।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।



वाराणसी पुलिस आपकी अपनी पुलिस :

कार्यालय

वरिष्ठ

पुलिस

अधीक्षक

वाराणसी

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644 , फ़ैक्स-91-542-250145 ,0 [ईमेल-](mailto:sspvn-up@nic.in)

sspvn-up@nic.in, [Facebook-policevaranasi](https://www.facebook.com/policevaranasi)

संख्या :पीआरओ 143/2020

दिनांक: नवम्बर/21 ,2020

प्रेस नोट

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी के निर्देशन में जनपद में नारी सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालम्बन हेतु चलाये जा रहे *“मिशन शक्ति”* अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 21.11.2020 को वाराणसी पुलिस द्वारा जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों के स्कूलकॉलेज व सार्वजनिक स्थलो/ं पर महिलाओं/बालिकाओं के बीच जाकर पोस्टरविडियो क्लिप क/आडियो/पम्पलेट/बैनर/े माध्यम से सरकार द्वारा जारी हेल्पलाइन नम्बरों)112,1098,1090,181,1076,108,102 (की जानकारी देकर जागरूक किया गया।

जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में मिशन शक्ति पुलिस टीम जागरूकता अभियान चलाते हुए 150 स्थानों पर प्रचार प्रसार कर कुल-22671 महिलाओं बालिकाओं/को जागरूक किया गया। मिशन शक्ति से सम्बन्धित 1586 पर्चे वितरित किये गये। एण्टीरोमियो स्कवाड द्वारा कुल 14चेकिंग /स्थानों पर भ्रमण 3 5969 करते हुए कुल महिलाओं/बालिकाओं को जागरूक किया गया तथा शोहदों के विरुद्ध कार्यवाही / 0 करते हुए 5 के विरुद्ध शोहदों को हिदायत दी गयी। 108 सीआरपीसी में चालान तथा 151

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

वाराणसी पुलिस आपकी अपनी पुलिस :

कार्यालय

वरिष्ठ

पुलिस

अधीक्षक

वाराणसी

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644 ,फैक्स-91-542-250145 ,0 [ईमेल-](mailto:sspvn-up@nic.in)

sspvn-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या :पीआरओ /1442020

दिनांक: नवम्बर/21 ,2020

प्रेस नोट

जनपद वाराणसी में कोविड-19 महामारी से बचाव हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुपालन के क्रम में वाराणसी पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में अनावश्यक बिना मास्क के घूम रहे व्यक्तियों, कालाबाजारी करने वालों दुकानदारों व यातायात नियमों का उल्लंघन करने व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती बरतते हुए आज दिनांक 21-11-2020 को विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए* कुल 28 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-151 सीआरपीसी* के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार किया गया, *0 2 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-188 चालानी रिपोर्ट व धारा-51 आपदा प्रबन्ध अधिनियम* के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी तथा बिना मास्क धारण किये *कुल 501 व्यक्तियों से रु0-14,3 -/00 जुर्माना* जमा कराया गया।

जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में जनपदीय पुलिस व यातायात पुलिस द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सघन चेकिंग अभियान चलाते हुए *कुल 942 वाहनों का चालान, 06 वाहनों को सीज तथा 108 वाहनों से रु0-94,800/-समन शुल्क वसूल* किया गया।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।